



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

(7TH/8TH Floor, Indira Bhawan, Civil Lines, Allahabad)

भाग-द

परिशिष्ट-6
(प्रपत्र-‘ब’) पृष्ठ 4/4)

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :

श्रीमती निगहत कमाल पत्नी श्री खालिद कमाल एवं तुलसियानी कान्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा नजूल फी होल्ड भूखण्ड संख्या-C/3 & C/5 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद (क्षेत्रफल 6688.84 वर्गमीटर) के ब्लॉक-C में निर्मित समूह आवास भवन (36 आवासीय इकाई) पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री ए०के० पाठक, सहायक अभियन्ता श्री मानवेन्द्र सिंह एवं अधिशासी अभियन्ता श्री एस०डी० शर्मा द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या-196/प्र०अ०-भवन/जोन-1/गु०हा०/2012-13 दिनांक 24.07.2013 को प्रदान की गयी। पुनः रिवाईज मानचित्र परमिट संख्या-196/1/प्र०अ०-भवन/जोन-1/गु०हा०/2013-14 दिनांक 13.10.2014 एवं शमन मानचित्र परमिट संख्या-75/प्र०अ०(त०स०-2)/जोन-1/शमन/2017-18 दिनांक 11.09.2017 के अनुरूप सही पाया गया है। सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन इलाहाबाद, अधिशासी अभियन्ता-भूगर्भ जल विभाग खण्ड-यांत्रिक (सिचाई विभाग) इलाहाबाद, उपनिदेशक अग्निशमन सेवा इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष के स्वीकृति आदेश दिनांक 04-12-2017 के क्रम में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी। उपरवर्णित विभागों द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र में अंकित प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन विकासकर्ता/रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी द्वारा किया जाय।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

1. उपनिदेशक अग्नि शमन सेवा इलाहाबाद
प०सं०-2013/इला०/158/सि०ला०/0076 दिनांक 19.07.2017 हस्ताक्षर 
2. सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन
प०सं०-172/स०नि०/वि०सु०/नि०/2017-18 दिनांक 04.05.2017 पदनाम : सचिव/अपर सचिव
3. अधिशासी अभि० भूगर्भ जल बोर्ड इलाहाबाद
प०सं०-33/भू०ज०वि०खं०/रे०वा०हा० दिनांक 15.04.2017 कार्यालय की मुहर 
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
4. आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इन्जी० का प्रमाण-पत्र।
दिनांक : 08 दिसम्बर, 2017

पत्रांक: 97/प्र०अ०(त०स०-2)/C.C/2017-18

दिनांक : 08 दिसम्बर, 2017